राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : निसंशि / लेखा–1 / बजट / 2019–20 / 8015–8439 दिनांक: 15/4/2019

1. आहरण वितरण अधिकारी,
   निदेशालय संस्कृत शिक्षा
2. उपनिदेशक (SSIERT) महापुरा
3. समस्त प्राचार्य / प्रधानाध्यापक,
   राजकीय आचार्य / शास्त्री / वरिष्ठ उपाध्याय /
   प्रवेशिका / एसटीसी / संस्कृत महाविद्यालय / विद्यालय राजस्थान।
4. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी,
   संस्कृत शिक्षा राजस्थान।

विषयः– बकाया यात्रा एवं चिकित्सा बिलों की बजट मद वाईज / कर्मचारी वाईज सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्ष 2019–20 में विभिन्न विभागीय बजट मदों में महाविद्यालय / विद्यायल / कार्यालय में 01.04.2019 को बकाया चल रहे यात्रा / चिकित्सा बिलों की सूची संलग्न प्रारूप में दो प्रतियों में दिनांक 25.04.2019 तक निम्नांकित निर्देशों के अनुरूप भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

1. महाविद्यालयों / STC विद्यालय द्वारा बकाया दावों की सूची निदेशालय में तथा **वरिष्ठ उपाध्यय / प्रवेशिका विद्यालय द्वारा संभाग कार्यालय को दिनांक 25.04.2019 तक प्रेषित की जायेगी।**
2. **01.04.2019 से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये नवीन बजट मद अंकित करते हुए पृथक–पृथक बजट मद की सूची पृथक–पृथक पेज पर तैयार कर प्रेषित की जायेगी, जिसमें कार्यालय आई.डी. का स्पष्ट रूप से अंकन किया जायेगा।**
3. संभाग कार्यालयों द्वारा बजट मद वाईज, अलग–अलग समेकित रूप से संकुलवार तथा **संभाग कार्यालय की ऑनलाईन बकाया यात्रा / चिकित्सा बिलों की प्रति सहित** सूची एक प्रति संलग्न करते हुये निदेशालय को दिनांक **10.05.2019** तक प्रेषित की जायेगी।
4. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिशः यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने / कार्यालय / संकुल के अधीन समस्त कार्मिकों के वास्तविक पेन्डिंग बिल जो दिनांक 01.04.2019 तक कार्यालय में प्रस्तुत किये जा चुके है को नियमानुसार जांचोपरान्त शामिल कर लिया गया है।
5. **प्रत्येग कार्यालयाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी अंकित किया जायेगा कि सूची में दर्शाये गये बिलों के अतिरिक्त कोई यात्रा / चिकित्सा के बिल बकाया नहीं है। निर्धारित दिनांक तक सूचना प्राप्त नही होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि विद्यालय / महाविद्यालय / कार्यालय में यात्रा चिकित्सा के कोई बिल पेन्डिंग नही है।**

8015–8439
15/4/19

—Sd—
(शशि जैन)
मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपिः– श्री शंकर सोनी पुस्तकालयध्यक्ष को विभागीय वबेसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रपत्र

(प्रत्येक बजट मद के लिए अलग प्रपत्र का प्रयोग किया जाये)

कर्मचारी वाईज, बिल वाईज बकाया चिकित्सा पुनर्भरण दावों की सूची

(बकाया चिकित्सा बलों की बजट मांग के साथ विभागीय आदेश संख्या 2001–2351 दिनांक 20.01.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र जिसमें वास्तविक व्यय राशि तथा उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के अन्तर्गत पुनर्भरणयोग्य राशि का तुलनात्मक विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।)

बजट मदः– ....ऑफिस आई.डी. .... संस्था प्रधान मोबाइल न0............................

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	बिल की अवधि	कार्यालय में ऑनलाईन बिल प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	दावे की राशि	नियमानुसार पुनर्भरण योग्य राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

संलग्न ऑनलाईन बिल की छायाप्रति

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि सूची में दर्शाय गये बिलों के अतिरिक्त दिनांक 01.04.2019 को चिकित्सा पुनर्भरण के कोई बिल पेन्डिंग नही हैं।
2. प्राप्त बिलों की **राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013** के अनुसार जांच कर गयी है एवं नियमानुसार पुनर्भरण/भुगतान योग्य शुद्ध राशि दर्शायी गई है।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण
अधिकारी

प्रपत्र

(प्रत्येक बजट मद के लिए अलग प्रपत्र का प्रयोग किया जाये)

कर्मचारी वाईज, बिल वाईज बकाया यात्रा भत्ता दावों की सूची

बजट मदः– ....ऑफिस आई.डी. .... संस्था प्रधान मोबाइल न0..................

....

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	बिल की अवधि	कार्यालय में ऑनलाईन बिल प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	दावे की राशि	नियमानुसार पुनर्भरण योग्य राशि
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि सूची में दर्शाय गये बिलों के अतिरिक्त दिनांक 01.04.2019 को चिकित्सा पुनर्भरण के कोई बिल पेन्डिंग नही हैं।
2. प्राप्त बिलों की यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार जांच कर ली गयी है एवं नियमानुसार पुनर्भरण/भुगतान योग्य शुद्ध राशि दर्शायी गई है।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण
अधिकारी